



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072022-237643
CG-DL-E-28072022-237643

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3257]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 27, 2022/श्रावण 5, 1944

No. 3257]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 27, 2022/SHRAVANA 5, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2022

का.आ. 3419(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2530(E), दिनांक 31.05.2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में NH4 के कि.मी. 27.600 से कि.मी. 86.450 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तमिल भाषा में "दिनामलार" और अंग्रेजी भाषा में "द न्यू इंडियन एक्सप्रेस" दोनों में दिनांक 11.06.2022 को प्रकाशित किया गया था।

और जबकि सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए।

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में NH4 के कि.मी. 27.600 से कि.मी. 86.450 तक के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संरचना के साथ या बिना संरचना के, संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: तमिलनाडु जिले का नाम: कांचीपुरम					
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी /हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: श्रीपेरुम्बुदुर				
	गांव का नाम: सेलवाज़हिमांगलाम				
1	43/17 pt	निजी(भिलझ सैट)	भिलझ सैट	0.0046	चंद्रशेखर (प्राइवेट विलेज साइट)
	गांव का नाम: श्रीपेरुम्बुदुर				
2	711/1B	निजी(वैट्)	वैट्	0.036	1. धर्म मेडिकल रिसर्च अंड चैरिटेबल ट्रस्ट. 2. महेश्वरी, डी/ओ माणिकवासगम (प्राइवेट वेट)
3	713/1B	निजी(वैट्)	वैट्	0.2051	1. धर्म मेडिकल रिसर्च अंड चैरिटेबल ट्रस्ट. 2. महेश्वरी, डी/ओ माणिकवासगम (प्राइवेट वेट)
4	714/1B	निजी(वैट्)	वैट्	0.0572	1. धर्म मेडिकल रिसर्च अंड चैरिटेबल ट्रस्ट. 2. महेश्वरी, डी/ओ माणिकवासगम (प्राइवेट वेट)
5	715/1B	निजी(वैट्)	वैट्	0.0422	1. लक्ष्म प्रसन्न रामानुजर ट्रस्ट मगठ धमोदर डोस 2.धर्म मेडिकल रिसर्च अंड चैरिटेबल ट्रस्ट. 3. महेश्वरी, डी/ओ माणिकवासगम (प्राइवेट वेट)
6	717/2B	निजी(वैट्)	वैट्	0.0004	1. धर्म मेडिकल रिसर्च अंड चैरिटेबल ट्रस्ट. 2. महेश्वरी, डी/ओ माणिकवासगम

					(प्राइवेट वेट)
7	725/3A1B	निजी(वैट)	वैट	0.046	अरुलमिगू अधिकेशव पेरूमाल फजियंगारा स्वामी देवस्थानम (प्राइवेट ड्राय)
8	735/2B	सरकारी(नेषनल् हैवेयज़्)	गौत. (पोरम्बोक)	0.2437	गवर्नमेंट ओफ तमिलनाडु (गवर्नमेंट प्रोम्बोक)
			कुल	0.6352	

[फा. सं. NHAI/18011/23-1/2000-PIU- IV/110/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2022

S.O. 3419(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Gazette No. 2530 (E) dated 31.05.2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (Widening/Four-Laning/Six-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH4 on the stretch of land from Km. 27.600 to Km. 86.450 in the district of Kancheepuram in the state of Tamil Nadu;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dinamalar” and “The New Indian Express” both dated 11.06.2022 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections have been received from any person by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH4 in the stretch of land from Km. 27.600 to Km. 86.450 in the district of Kancheepuram in the state of Tamil Nadu.

State: TAMIL NADU		District: KANCHEEPURAM			
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Sriperumbudur				
	Village: Selvazhimangalam				
1	43/17 pt	Private(Village Site)	Village Site	0.0046	Chandrasekar Private Village Site

	village: Sriperumbudur				
2	711/1B	Private(Wet)	Wet	0.036	1. Dharma Medicals Research and Charitable Trust. 2. Maheswari, D/o Manikavasagam Private Wet
3	713/1B	Private(Wet)	Wet	0.2051	1. Dharma Medicals Research and Charitable Trust. 2. Maheswari, D/o Manikavasagam Private Wet
4	714/1B	Private(Wet)	Wet	0.0572	1. Dharma Medicals Research and Charitable Trust. 2. Maheswari, D/o Manikavasagam Private Wet
5	715/1B	Private(Wet)	Wet	0.0422	1. Lakshim Prasanna Ramanujar Trust Magath Dhamodara Doss 2.Dharma Medicals Research and Charitable Trust. 3. Maheswari, D/o Manikavasagam Private Wet
6	717/2B	Private(Wet)	Wet	0.0004	1. Dharma Medicals Research and Charitable Trust. 2. Maheswari, D/o Manikavasagam Private Wet
7	725/3A1B	Private(Wet)	Wet	0.046	Arulmigu Adhikesava Perumal Phaziyangara Swami Devasthanam Private Dry
8	735/2B	Government(Road (Highway))	Govt. (poramboke)	0.2437	Government of Tamilnadu Government Promboke
			TOTAL	0.6352	

[F. No. NHAI/18011/23-1/2000-PIU- IV/110/3D]

RAJESH GUPTA, Director